बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

सं.संख्या–टी3/योजना–36/2008–1112/पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अपर सचिव ,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण राज्य स्कीम का वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 20.00 लाख (बीस लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण प्राप्त करने के निमित वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय व्यय मद में उपबंधित राशि रूपये 20.00 लाख (बीस लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय के लिए वित्तीय वर्ष के उद्व्यय एवं बजट उपबंध में राशि उपलब्ध है।

3. इस अवधि विस्तार पर व्यय शीर्ष 2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या 26, 0103 प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण विपत्र कोड 26–2230030030103 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राज्य स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना होंगे। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राज्य स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

5. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–टी3/यो0–36/08 के पृष्ट–101/टि0 पर प्राप्त है तथा पृष्ट–101/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार सिंह) 28/4/17
अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/यो0–36/08–1112 /पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव 28/4/17
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी3/यो0–36/08–1112 /पटना,दिनांक 2-5-2017

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव,श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / उप निदेशक प्रवैधिकी शिक्षा मुख्यालय/ आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाघन विभाग , निदेशालय बजट शाखा/लेखा शाखा/मासिक व्यय शाखा/ प्रशिक्षण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव 28/4/17
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।